

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 431 / 2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(महिला शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	निशा पन्त	श्री एस0 सी0 पन्त	ग्राम-भड़कटिया, पिथौरागढ़	समान्य	08.02.1991	पिथौरागढ़	एम0एस0सी0 जन्तु वि0/ बी0एड0	51.75	रा0क0उ0मा0वि0 तामानौली, पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/

लेपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा ध्यान आयोग देहरादून।

सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊं मण्डल।

सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।

सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊं मण्डल।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।

सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें-
(क)- अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की मूला-मौलि जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ख)- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में निम्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

(ग)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा0 न्यायालय में कोई वाद/क्लेश प्रस्तुत नहीं करेगा।

(घ)- अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (स0अ0एल0टी0-विज्ञान) हेतु निम्नानुसार कर ली जाय-

(1)-भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि।

(2)-किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/मा0विद्यालय से एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि।

अथवा

(1)-एन0सी0ई0आर0टी0 के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।

(अभ्यर्थी को स0अ0एल0टी0-विज्ञान के पद पर नियुक्ति हेतु सी0टी0ई0टी0-2/यू0टी0ई0टी0-2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है)

(ड)- जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थायी निवास के जनपद के रक्षक अधिकारी द्वारा (नहिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।

(च)- अभ्यर्थी की आयु 01-07-2024 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।

(छ)- नि:शक्ता की स्थिति में नि:शक्ता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोडस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलान कर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु0.....पद.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह0-संस्थाध्यक्ष

पूरा नाम.....

पद एवं सील.....

10- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र '1-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचारधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2-प्रशिक्षण योग्यता एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)

11- कार्यालय आदेश पंजीक।

मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊं मण्डल नैनीताल

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....सहायक अभ्यापक.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करुंगी एवं सगे सम्बन्धित द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करुंगी।
प्रतिहस्ताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....
हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
विद्यालय.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 432

/2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (गंधारांशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400. लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवर्तीभाषी रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(महिला शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	प्रियंका चंद	श्री हरी चंद	56 लेलू रोड मड़ीगाँव पिथौरागढ़	अ0पि0वर्ग	10.07.1995	पिथौरागढ़	एम0एस0सी0 जन्तु वि0/बी0एड0	51.75	रा0क0इ0का0 नमजला, पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवाये 3क(2)/अराज0/ 433 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (गथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिचीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(महिला शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	नीलम	श्री नारायण सिंह	ग्राम-बड़ीगोंव पो0-बैरा अस्कोट, डीडीहाट पिथौरागढ़	ई0डब्ल्यू0एस0	01.12.1998	पिथौरागढ़	एम0एस0सी0 वनस्पति वि0/बी0एड0	50.75	रा0क0उ0मा0वि0 रावतसेरा, बोगेश्वर औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराज०/

434

/2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में राखित उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 पेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह अस्सवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, री०या०सं०-358/2025, री०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(महिला शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	प्रियंका जायसवाल	श्री दीप चन्द्र जायसवाल	गली नं० 04 कार्की फार्म आमबाग टनकपुर चम्पावत	सामान्य	18.07.1995	चम्पावत	एग०एस०सी० जन्तु वि०/बी०एड०	49.50	रा०क०उ०मा०वि० पाटी, चम्पावत औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 435

/2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (गथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(महिला शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	चन्द्रप्रभा	श्री राम दत्त	गनदरियाखाल, पो0-लोकमणिपुर सिगड़डी कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल	सामान्य	16.08.1984	अल्मोड़ा	एम0ए0 राजनीति वि0/बी0एड0	49.00	रा0क0उ0मा0वि0 क्वैराला सल्ट, अल्मोड़ा औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवाये 3क(2)/अराज0/

436

/2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (गुथारासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्रावधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक चेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(महिला शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	प्रियंका रानू	श्री अजय कुमार	डिग्री कालेज रोड अपर कलाबड़ कोटद्वारा पौड़ी	सामान्य	15.04.1987	पौड़ी गढ़वाल	एम0एस0सी0 वनस्पति वि0/बी0एड0	49.00	रा0क0इ0का0 दोफाड़ बागेश्वर औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)

मण्डलीय अपर निदेशक

(माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराज०/ 437 / 2025-26 दिनांक/3 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(महिला शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	मनीषा रावत	श्री उत्तम राज सिंह नेगी	अगस्तमुनि ग्राम-बनियाड़ी रुद्रप्रयाग	सामान्य	09.06.1995	रुद्रप्रयाग	बी०एस०सी०/बी०एड०	48.75	रा०क०इ०का० चौखटिया, अल्मोड़ा औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)

मण्डलीय अपर निदेशक

(माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवाये 3क(2)/अराज०/ 438 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(महिला शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	प्रियंका	श्री पंकज रावत	लेन नं० 01, उत्तरांचल इन्क्लेव, सैक्टर-2, हरिपुर नवाड, देहरादून	सामान्य	23.07.1995	चमोली	एम०एस०सी० वनस्पति वि०/बी०एड०	48.75	दुर्गम विद्यालय में पद रिक्त नहीं अ०नि०मा०शि०कु०म० नैनीताल

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/रोवार्ये 3क(2)/अराज0/ 439 / 2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (ग्यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ0अ0रो0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(महिला शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	उर्मिला शर्मा	श्री राममज शर्मा	लाईन जीवन गढ़, निकट बाला सुन्दरी मंदिर, विकासनगर देहरादून	सामान्य	06.01.1993	देहरादून	एम0एस0सी0 माइक्रो बायलौजी/बी0ए ड0	48.50	दुर्गम विद्यालय में पद रिक्त नहीं अ0नि0मा0शि0कु0म0 नैनीताल

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 440 /2025-26 दिनांक/3 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त बरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(महिला शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	प्रियंका	श्री गणेश प्रसाद धपलियाल	88 समुन नगर, धरमपुर देहरादून	सामान्य	12.01.1993	रुद्रप्रयाग	एम0एस0सी0 रसायन वि0/बी0एड0	48.50	दुर्गम विद्यालय में पद रिक्त नहीं अ0नि0मा0शि0कु0म0 नैनीताल

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवाये ३क(२)/अराज०/ ५५१

/2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (मथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(महिला शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	शिवानी	श्री कलम सिंह	ग्राम व पो०-बुल्लावाला, निकट रा०इ०का० बुल्लावाला डोईवाला देहरादून	अ०पि०वग/225 11/23.04. 21/डोईवाला	21.12.1992	देहरादून	एम०एस०सी० जन्तु वि०/बी०एड०	47.50	दुर्गम विद्यालय में पद रिक्त नहीं अ०नि०मा०शि०कु०मा० नैनीताल

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सोचार्थे 3क(2)/अराज0/ 442 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(महिला शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	पूजा रानी	श्री महिपाल सिंह	ग्राम-मझेड़ा विधि खानपुर पश्चिम, पो0-केलाखेड़ा, गदरपुर उधमसिंहनगर	अनु0 जाति/06847/12.10.23/गदरपुर	25.06.1995	उधमसिंह नगर	एम0एस0सी0 वनस्पति वि0/बी0एड0	47.00	दुर्गम विद्यालय में पद रिक्त नहीं अ0नि0मा0शि0कु0म0 नैनीताल

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराज०/ 443 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(महिला शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	मेघा रावत	श्री रीशन सिंह रावत	अगस्तमुनि नाकोट रूद्रप्रयाग	ई०डब्ल्यू०एस०/ 07971/11.04.24/रूद्रप्रयाग	23.09.2000	रूद्रप्रयाग	बी०एस०सी०/बी०एड०	45.50	दुर्गम विद्यालय में पद रिक्त नहीं अ०नि०मा०शि०कु०म० नैनीताल

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराजक/ 444 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अन्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(महिला शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	भावना राणा	श्री आनन्द सिंह राणा	ग्राम-फुलैया, पो०-सारासरिया, तहसील-खटीमा, उधमसिंहनगर	अनु० जनजाति/760 /19.08.09/खटीमा	11.08.1993	उधमसिंह नगर	एम०एस०सी० जन्तु वि०/बी०एड०	42.00	दुर्गम विद्यालय में पद रिक्त नहीं अ०नि०मा०शि०कु०म० नैनीताल


(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 445 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी मर्ती - विषय-विज्ञान-(महिला शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	सिमरन	श्री हरीश प्रसाद	ग्राम-जमीरखेत, पो0-थरकोट पिथौरागढ़	अनु0 जाति/00112/05.10.23/ पिथौरागढ़	01.09.1996	पिथौरागढ़	एम0एस0सी0 रसायन वि0/बी0एड0	41.75	दुर्गम विद्यालय में पद रिक्त नहीं अ0नि0मा0शि0कु0म0 नैनीताल

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 448 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/ उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त यरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(महिला शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	मोनिका आर्या	श्री दिनेश चन्द्र आर्या	बेनी विहार ग्राम-दुलेपुरी, पो0-पीरुमदारा, रामनगर नैनीताल	अनु0 जाति/00336/ 04.02. 14/रामनगर	24.01.2001	नैनीताल	बी0एस0सी0/बी0एड0	41.25	दुर्गम विद्यालय में पद रिक्त नहीं अ0नि0मा0शि0कु0म0 नैनीताल



(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवाएँ 3क(2)/अराज०/ 447 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है। जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	प्रतिभा कोठारी	श्री महेश चन्द्र कोठारी	ग्राम व पो०-जाड़ापानी, तहसील-गंगोलीहाट जिला-पिथौरागढ़	ई०डब्ल्यू०एस०/005 494/06.04, 24/गंगोलीहाट	26.01.1995	पिथौरागढ़	एम०एस०सी० वनस्पति वि०/बी०एड०	54.75	रा०इक०१० सिनलेख पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराज०/ 448 /2025-26 दिनांक/13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथारांशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	नेहा शर्मा	श्री पीताम्बर शर्मा	शक्ति विहार, बरेली रोड पुरानी आइ०टी०आई०, हल्द्वानी नैनीताल	सामान्य	25.03.1997	नैनीताल	बी०एस०सी०/ब०ए०	54.75	रा०इ०का० दिगालीचौड़ चम्पावत औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवाये 3क(2)/अराज0/ 449 / 2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (गणराज्योक्ति) उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्रावधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	दीपिका	श्री रमेश चन्द्र	कुमाऊँ कालोनी, गुसाई चौराहा निकट जे0डी0एम0 स्कूल हल्द्वानी नैनीताल	अनु0 जाति/00415/20.03.04/गंगोलीहाट	25.03.1998	नैनीताल	एम0एस0सी0 वनस्पति वि0/बी0एड0	53.50	रा0उ0मा0वि0 रमैला चम्पावत औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/रोचार्गे 3क(2)/अराज0/ 450 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथाराशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	हेमा पाण्डे	श्री राजेन्द्र प्रसाद	ग्राम-भटकोट, पो0-जालली जिला-अल्मोड़ा	सामान्य	01.10.1992	अल्मोड़ा	एम0एस0सी0 रसायन वि0/बी0एड0	53.25	रा0इ0का0 मल्हूटा अल्मोड़ा औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

(मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
 आदेश सं०/सोचार्थे 3क(2)/अराज०/ 451 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025
विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में **औपबन्धिक** नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	रबीना भट्ट	श्री दीपक भट्ट	58 गौरीहाट डोली पिथौरागढ़	सामान्य	08.08.1995	पिथौरागढ़	एम०एस०सी० जन्तु वि०/बी०एड०	53.25	रा०इ०का० दुबौला पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
 मण्डलीय अपर निदेशक
 (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
 क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 452

/2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसाके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनान उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	हिमांशु भट्ट	श्री एच0 सी0 भट्ट	पवन विहार कालोनी दौला, पो0-बिण, पिथौरागढ़	सामान्य	10.03.1997	पिथौरागढ़	बी0एस0सी0/ब 10एड0	53.25	रा0इ0का0 खेती अल्मोडा औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवाये 3क(2)/अराज0/ 453

/2025-26 दिनांक/3 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (गशासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	योगिता वार्ष्णेय	श्री दाऊ दयाल वार्ष्णेय	वार्ड नं0-8 पन्त कालोनी किच्छा उधमसिंहनगर	सामान्य	13.06.1996	उधमसिंह नगर	एम0एस0सी0 रसायन वि0/बी0एड0	53.00	रा0उ0मा0वि0 चूलागाँव चम्पावत औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 454 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025
विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह के वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। मविप में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बना उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 ए मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	सुमन डालाकोटी	श्री जितेश डालाकोटी	रानीखेत रोड लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा	ई0डब्ल्यू0एस0/079 94/12.04.24/अल्मोड़ा	10.03.1994	अल्मोड़ा	बी0एस0सी0/ब 10एड0	52.50	रा0उ0मा0वि0 खौड़ी अल्मोड़ा औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
आदेश सं0/सेवाये 3क(2)/अराज0/ 455 /2025-26 दिनांक 18/3 अक्टूबर, 2025

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (गयासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अभ्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	वन्दना आर्या	श्री जवाहर लाल	टी0बी0 हारिपटल, गेठिया सेनेटोरियम नैनीताल	अनु0 जाति/2905/20, 08.05/नैनीताल	02.08.1994	नैनीताल	एम0एस0सी0 जन्तु वि0/बी0एड0	52.50	रा0इ0का0 टॉण चम्पावत औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवाये 3क(2)/अराज0/

456

/2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितांत अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	पुष्कर सिंह	श्री खीम सिंह नेगी	डोटियालगौव ताकुला अल्मोड़ा	सामान्य	10.06.1987	अल्मोड़ा	एम0एस0सी0 रसायन वि0/बी0एड0	52.50	रा0इ0का0 मुनस्यारी, पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
आदेश सं0/सोचार्गे 3क(2)/अराज0/ 457 / 2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथाराशोचिता), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी गर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	शुभम सिंह नेगी	श्री बालम सिंह नेगी	ग्राम-सीमा, पा0-गरखेत अल्मोड़ा	ई0डब्ल्यू0एस0/043 59/26.04.23/ चौखुटिया	07.07.1999	अल्मोड़ा	एम0एस0सी0 वनस्पति वि0/बी0एड0	51.50	रा0इ0का0 रँथी, धारचूला पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवाएं 3क(2)/अराज०/ 458 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (संशोधन) (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी मर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	गौरव कुमार पन्त	श्री धर्मानन्द पन्त	निकट बाफिला डैन्टल क्लिनिक बरीनाग पिथौरागढ़	सामान्य	24.09.1986	पिथौरागढ़	एम०एस०सी० जन्तु वि०/बी०एड०	51.25	रा०इ०का० सनगाड़ बागेश्वर औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराज०/ 459 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	पूजा सिंह	श्री धन सिंह	ग्राम-जसारी झनकट खटीमा, उधमसिंहनगर	सामान्य	07.07.1997	उधमसिंह नगर	बी०एस०सी०/ब १०एड०	51.25	रा०इ०का० विविल चम्पावत औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
आदेश सं०/सेवागें 3क(2)/अराज०/ 460 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (गथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्रावधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक (संशोधन) स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	पूजा तिवारी	श्री रमेश चन्द्र तिवारी	निकट श्रीराम मन्दिर, ग्राम व पो०-श्रीपुर बिचवा, खटीमा उधमसिंहनगर	सामान्य	30.03.1998	उधमसिंह नगर	बी०एस०सी०/बी०एड०	51.25	रा०उ०मा०वि० कफड़ा चम्पावत औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवाये 3क(2)/अराज0/ 461 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त परीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में **औपबन्धिक** नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीयक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्ता निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	मेघा सौन	श्री देवेन्द्र सिंह	बुडालगाँव बट्टी, वड्डा, पिथौरागढ़	सामान्य	20.03.1999	पिथौरागढ़	बी0एस0सी0/बी0एड0	51.00	रा0उ0मा0वि0 नालीबेल पिथौरागढ़ औपबन्धिक


(गजेन्द्र सिंह सौन)
 मण्डलीय अपर निदेशक
 (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
 क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवाये 3क(2)/अराज०/ 462

/2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथाराशोचित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	बिपिन चन्द्र उप्रेती	श्री मोहन चन्द्र उप्रेती	ग्राम व पो०-खेती जिला-अल्मोड़ा	सामान्य	25.05.1986	अल्मोड़ा	एम०एस०सी० जन्तु वि०/बी०एड०	50.75	रा०इ०का० गलाती, पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 463 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	महारतन कुमार	श्री मुनीम	अम्बेडकर नगर वार्ड नं0 01 लालकुँआ नैनीताल	अनु0 जाति/352/19.09.11/लालकुँआ	03.05.1992	नैनीताल	एम0एस0सी0 रसायन वि0/बी0एड0	50.75	रा0उ0मा0वि0 खुमती, पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवाये 3क(2)/अराज0/ 464 /2025-26 दिनांक/3 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (मथारांशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	जया कपकोटी	श्री राम सिंह कपकोटी	घिरोली बागेश्वर	सामान्य	08.02.1994	बागेश्वर	एम0एस0सी0 वनस्पति वि0/बी0एड0	50.75	रा0इ0का0 सौंग, बागेश्वर औपबन्धिक

(गंजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 465 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (संशोधन) सेवा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में राचित उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	गिरीश पाण्डे	श्री रमेश चन्द्र पाण्डे	मकान नं0 67, टन्टा भवन निकट नेशनल इण्टर कालेज रानीखेत अल्मोड़ा	ई0डब्ल्यू0एस0/065 86/30.04. 23/रानीखेत	10.12.1982	अल्मोड़ा	बी0एस0सी0/ब 10एड0	50.50	स0ड0का0 खिरमाण्डे पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सोचार्थे 3क(2)/अराज0/ 486

/2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) के विज्ञापन संख्या-58/नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	मानुप्रिया	श्री महेन्द्र सिंह	शहीद गेट गदरपुर उधमसिंहनगर	सामान्य	10.06.1988	उधमसिंह नगर	एम0एस0सी0 जन्तु वि0/बी0एड0	50.00	रा0इ0का0 बटूटिया, अल्मोड़ा औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सोबाये 3क(2)/अराज0/ 467 /2025-26 दिनांक/3 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (गथासंगोचित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0सं0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	दीपिका मठपाल	श्री भुवन चन्द्र मठपाल	ग्राम-नैनीली पो0-खटियोला जिला-अल्मोड़ा	ई0डब्ल्यू0एस0/09110/11.04.24/भनोली	01.10.1989	अल्मोड़ा	एम0एस0सी0 वनस्पति वि0/बी0एड0	50.00	रा0इ0का0 मनसारीनालाचौड़ा अल्मोड़ा औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवाये 3क(2)/अराज0/ 468 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्रावधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में राचित उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	प्रेम चन्द्र सिंह चिलवाल	श्री कुँवर सिंह चिलवाल	ग्राम-चमोली पो0-बड़ौन, खनस्यू नैनीताल	ई0डब्ल्यू0एस0/229 24/25.07. 23/खनस्यू	15.05.1990	नैनीताल	बी0एस0सी0/ब 10एड0	49.75	रा0इ0का0 चहज पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवाये 3क(2)/अराज०/ 469 /2025 28 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (गणसंशोधन), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में विहित प्रावधानों सहित उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सविध उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	दीपक चन्द्र धुवाल	श्री शिव दत्त धुवाल	ग्राम व पो०-सुरग, ओखलकाण्डा नैनीताल	ई०डब्ल्यू०एस०/०६८ 88/28.04 23/धारी	03.05.1995	नैनीताल	एम०एस०सी० वनस्पति वि०/बी०एड०	49.75	रा०ड०का० बरम, पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/रोचार्गे 3क(2)/अराज0/ 470 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	बिरेन्द्र कुमार	श्री गोविन्द राम	धुधलिया मनराल सेला, अल्मोड़ा	अनु0 जाति/08888/02.11.20/चौखुटिया	01.06.1992	अल्मोड़ा	एम0एस0सी0 रसायन वि0/बी0एड0	49.50	रा0इ0का0 नाचनी पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/रोवाये 3क(2)/अराज०/ 471 /2025-26 दिनांक/3 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	नेहा	श्री फतेह सिंह	ग्राम-ढाडीपुरा जसपुर उधमसिंहनगर	सामान्य	13.07.1992	उधमसिंह नगर	एम०एस०सी० वनस्पति वि०/बी०एड०	49.50	रा०इ०का० दशलेख चम्पावत औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/रोवार्ये 3क(2)/अराज0/ 472 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	नवीन सिंह नेगी	श्री महेन्द्र सिंह नेगी	ग्राम-घनाली, पो0-गागरीगोल बागेश्वर	ई0डब्ल्यू0एस0/16500/08.06.23/गरुड	19.07.1998	बागेश्वर	एम0ए0 अंग्रेजी/बी0एड0	49.50	रा0इ0का0 सेराघाट पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवाये 3क(2)/अराज०/ 473

/2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	विमल देवराड़ी	श्री ललिता प्रसाद देवराड़ी	ग्राम-कुरार थराली, चमगोली	सामान्य	15.09.2000	चमोली	बी०एस०सी०/बी०एड०	49.50	रा०उ०मा०वि० सिरकोट बागेश्वर औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराज०/ 474 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 331 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक (अ०टी०-स्नातक) वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का न देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं 10 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	मुकेश शर्मा	श्री पोहालो राम	तिलपुरी नं० 01, मझरा आनन्द सिंह, दिनेशपुर उधमसिंहनगर	ई०डब्ल्यू०एस०/०४३ 846/29.12.23/गदरपुर	01.08.1984	उधमसिंह नगर	बी०एस०सी०/बी०एड०	49.25	रा०इ०का० कर्मी, बागेश्वर औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/रोवारें 3क(2)/अराज0/ 475 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्रावधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त बरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	रंजीत सिंह	श्री प्रेम सिंह	बिर्थी मडालकिया, पिथौरागढ़	अ0पि0वर्ग/52873/09.11.22/तेजम पिथौरागढ़	24.01.1993	पिथौरागढ़	बी0एस0सी0/ब10एड0	49.25	रा0इ0का0 सूपी बागेश्वर औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/रोवार्यें 3क(2)/अराज0/ 476 /2025-26 दिनांक/3 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	सूरज सिंह	श्री शेर सिंह	ग्राम-खातीगाँव, पो0-सिनलेख गंगोलीहाट पिथौरागढ़	सामान्य	07.05.1993	पिथौरागढ़	एम0एस0सी0 रसायन वि0/बी0एड0	49.25	रा0इ0का0 स्यांकोट, बागेश्वर औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवाये 3क(2)/अराज0/ 477 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (गथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में राशित उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	अनुराग ढौढियाल	श्री नरेन्द्र कुमार ढौढियाल	बुढ़ाकोट मेलघार, पौड़ी	अ0पि0यर्ग/19901/05.05.22/वीरोंखाल पौड़ी	12.08.1998	पौड़ी गढ़वाल	एम0एस0सी0 वनस्पति वि0/वी0एड0	49.25	रा0इ0का0 कालिका पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवाएँ 3क(2)/अराज0/ 478 /2025-26 दिनांक/3 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (मध्यामशिक्षा) उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्रावधानों सहित उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं है। भविष्य यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	मनप्रीत कौर	श्री रंजीत सिंह	म0नं0-42, अहमद नगर पो0-जसपुर उधमसिंहनगर	अ0पि0वर्ग/50671/2.08.22/जसपुर	10.01.1988	उधमसिंह नगर	एम0एस0सी0 वनस्पति वि0/बी0एड0	49.00	रा0उ0मा0वि0 बूगाबीड़ चम्पावत औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवाएं 3क(2)/अराज०/ 479 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथाराशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 331 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक (सी०टी०-स्नातक) वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का न देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	भावना दानू	श्री राजेन्द्र सिंह दानू	ग्राम-बघर कपकोट बागेश्वर	सामान्य	26.03.1995	बागेश्वर	एम०एस०सी० रसायन वि०/बी०एड०	49.00	रा०इ०का० बघर बागेश्वर औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 480 / 2025-26 दिनांक/3 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथारांशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/030से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 33 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	सौन्या	श्री पीयूष कुमार अवस्थी	राजेश्वरी कालोनी बंजारावाला देहरादून	सामान्य	18.07.1999	देहरादून	एम0एस0सी0 वनस्पति वि0/बी0एड0	49.00	रा0इ0का0 गंधीनगर पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)

मण्डलीय अपर निदेशक

(माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवाये 3क(2)/अराज0/ 481 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथाराशोक्त), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में राचिय उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	निशा सन्तोलिया	श्री दीपक सन्तोलिया	ग्राम-पंगरौली, पो0-बिछुल पिथौरागढ़	अनु0 जाति/00051/03, 07.15/देवस्थल पिथौरागढ़	02.10.2000	पिथौरागढ़	एम0एस0सी0 जन्तु वि0/वी0एड0	49.00	रा0इ0का0 खांकोट पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/रोवार्यें 3क(2)/अराज0/ 482 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (गथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	सोनम गुप्ता	श्री शिव अवतार गुप्ता	मोहल्ला-कानूनगोया, निकट मुंशीराम चौराहा काशीपुर उधमसिंहनगर	सामान्य	07.07.1989	उधमसिंह नगर	एम0एस0सी0 रसायन वि0/बी0एड0	48.75	रा0इ0का0 भीताकोटखाल अल्मोडा औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवागें 3क(2)/अराज०/ 483 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	गरिमा राणा	श्री राजेन्द्र सिंह राणा	बाजीराव का बाग, श्रीनगर गढ़वाल, पौड़ी	सामान्य	11.07.1989	पौड़ी गढ़वाल	एम०एस०सी० वनस्पति वि०/बी०एड०	48.75	रा०इ०का० पिल्खी पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 484 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथाराशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	अर्जुन उनियाल	श्री मदन लाल उनियाल	म0नं0-09, ग्राम-कोठी मल्ली, पो0-तुंगोली नाकोट, टिहरी गढ़वाल	सामान्य	20.10.1991	टिहरी गढ़वाल	एम0एस0सी0 रसायन वि0/बी0एड0	48.75	रा0इ0का0 विधी, पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवाये 3क(2)/अराज0/ 485 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथारसोचित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	लक्ष्मण कुमार	श्री जमुना प्रसाद	वार्ड नं0-30, नूरी मस्जिद इन्द्रा नगर हल्द्वानी, नैनीताल	अ0पि0वर्ग/93617/06.04.24/हल्द्वानी	16.11.1991	नैनीताल	एम0एस0सी0 रसायन वि0/बी0एड0	48.75	रा0इ0का0 मदकोट, पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराज०/ 486 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक 0टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का न देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	भारती वर्मा	श्री जगदीश चन्द्र वर्मा	ग्राम-उपरोड़ा, दशाईथल, गंगोलीहाट पिथौरागढ़	अ०पि०वर्ग/56188/25.08.22/गंगोलीहाट	08.03.1991	पिथौरागढ़	एम०एस०सी० वनस्पति वि०/बी०एड०	48.50	रा०इ०का० बनकोट पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवाये 3क(2)/अशज0/

487

/ 2025-26 दिनांक

13

अक्टूबर, 2025

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त गरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिदीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	रेनू बोनाल	श्री गोविन्द सिंह बोनाल	मल्ली रोड, बलुवाकोट पिथौरागढ़	अनु0 जनजाति / 177 / 19 08.13 / धारधूला	10.12.1997	पिथौरागढ़	एम0एस0सी0 रसायन वि0 / बी0एड0	48.50	रा0उ0मा0वि0 ढूंगातोली पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 488 /2025-26 दिनांक/3 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	पंकज भट्ट	श्री जयराज भट्ट	ग्राम-पंतगाव, धारचूला पिथौरागढ़	अ0पि0वर्ग/63898/03.04.23/धारचूला	01.07.1999	पिथौरागढ़	बी0एस0सी0/ब10एड0	48.50	रा0उ0मा0वि0 डुंगराबोरा चम्पावत औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
आदेश सं0/रोवार्यें 3क(2)/अराज0/ 489 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में **औपबन्धिक** नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	सपना	श्री दयाल राम	खोली, बागेश्वर	अनु0 जाति/55546/23.03.23/बागेश्वर	16.08.2000	बागेश्वर	बी0एस0सी0/ब10एड0	48.50	रा0इ0का0 लोहारचौरा बागेश्वर औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराज०/ 490

/2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में **औपबन्धिक** नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	ऋषभ सिंह जंगपांगी	श्री गंगा सिंह जंगपांगी	ग्राम-पाण्डा, पो०-सिल्थाम, पिथौरागढ़	अनु० जनजाति/70870/27.03.24/मुनस्यारी	01.01.1997	पिथौरागढ़	बी०एस०सी०/ब००एड०	48.25	रा०इ०का० मनोली, अल्मोड़ा औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवाये 3क(2)/अराज०/

491

/2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (गणसंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्रावधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	योगेश कुमार जोशी	श्री पूरन चन्द्र जोशी	ग्राम-महतोलियागाँव, पहाडपानी, नैनीताल	ई०डब्ल्यू०एस०/38750/06.11.23	31.05.1996	नैनीताल	एम०एस०सी० वनस्पति वि०/बी०एड०	48.00	रा०इ०का० पांगू पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवागें ३क(२)/अराज०/ 492 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (गथासंग्रहित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	कमलेश पुरी	श्री हरीश पुरी	ग्राम-मजकोट रातिसैरा, बागेश्वर	अ०पि०वर्ग/19878/09.08.21/गरुड	04.09.1999	बागेश्वर	बी०एस०सी०/बी०एड०	47.75	रा०इ०का० भिनगड़ी पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 493 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	प्रियंका	श्री इश्क लाल	40ए मोहन वाटिका, जगजीतपुर हरिद्वार	अ0पि0वर्ग/68120 /30.03.24/लक्सर	03.03.1983	हरिद्वार	एम0एस0सी0 रसायन वि0/बी0एड0	47.50	रा0इ0का0 पिल्खी पितौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/रोवारें 3क(2)/अराज0/ 494

/2025-26 दिनांक/3 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	ज्योत्सना भट्ट	श्री सुन्दर लाल भट्ट	म0नं0-37, ग्राम-नाईपुर पो-न्यूसारी, उत्तरकाशी	अ0पि0वर्ग/44728 /21.10.21/डुण्डा	20.05.1996	उत्तरकाशी	एम0एस0सी0 रसायन वि0/बी0एड0	47.50	रा0इ0का0 बगड़ीहाट पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
 मण्डलीय अपर निदेशक
 (माध्यमिक शिक्षा)
 कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
 क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
आदेश सं0/सेवाये 3क(2)/अराज0/ 495 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्रावधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	श्वेता	श्री शिवानन्द जोशी	ग्राम-जैती, पो0-बरशीर जखोली रुद्रप्रयाग	अ0पि0वर्ग/68286/27.12.23/प्रतापनगर	04.06.1994	रुद्रप्रयाग	बी0एस0सी0/बि0एड0	47.00	रा0उ0मा0वि0 गलईकन्धार बागेश्वर औपबन्धिक


(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/रोवार्ये 3क(2)/अराज०/ 496 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथारंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	शान्ति जोशी	श्री सतीश चन्द्र	ग्राम-बमनजौल, सूखीढांग चम्पावत	ई०डब्ल्यू०एस०/123/24.04.23/पूर्णागिरी	10.07.1988	चम्पावत	बी०एस०सी०/बी०एड०	46.75	रा०इ०का० देवीधूरा पाटी चम्पावत औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 497

/2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	रवि मिश्रा	श्री मनोज कुमार मिश्रा	काली देवाल चमोली	ई0डब्ल्यू0एस0/025 58/15.02.24/थराली	23.08.1999	चमोली	एम0एस0सी0 वनस्पति वि0/बी0एड0	46.75	रा0उ0मा0वि0 कुलाऊँ बागेश्वर औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवाये 3क(2)/अराज०/ 498 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (गव्वासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्रावधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	सुनील सिंह विष्ट	श्री प्रताप सिंह	ग्राम व पो०-किरारा मल्ला अल्मोड़ा	ई०डब्ल्यू०एस०/०50 20/02.04. 24/अल्मोड़ा	25.08.1994	अल्मोड़ा	बी०एस०सी०/ब 10एड०	46.50	रा०इ०का० खाती, बागेश्वर औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सोवागें 3क(2)/अराज०/ 499 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्रावधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	नीरज सिंह मेहरा	श्री भूपाल सिंह मेहरा	ग्राम-बजून पो०-खुर्पाताल जिला-नैनीताल	ई०डब्ल्यू०एस०/279 71/25.08. 23/नैनीताल	28.04.1994	नैनीताल	एम०एस०सी० वनस्पति वि०/बी०एड०	46.25	रा०उ०मा०वि० धौलनेली अल्मोड़ा औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

- 450-60 - 02 -
/ 2025 - 26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवाये 3क(2)/अराज0/ 500

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (संशोधन) सेवा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	कंचन कोहली	श्री जगदीश चन्द्र	ग्राम-मालधनचौड़ पो0-चन्द्रनगर, रामनगर नैनीताल	अनु0 जाति/1584/01. 12.05/बाजपुर	16.10.1995	उधमसिंह नगर	बी0एस0सी0/बी0एड0	46.25	रा0इ0का0 छड़नदेव पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवाये 3क(2)/अराज0/

50/

/2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (मथासंगोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	गरिमा मासीवाल	श्री चन्द्रशेखर मासीवाल	ग्राम व पो0-भगोती चौखुटिया अल्मोड़ा	ई0डब्ल्यू0एस0/25760/17.08.23/चौखुटिया	15.12.1995	अल्मोड़ा	एम0एस0सी0 जन्तु वि0/बी0एड0	46.25	रा0इ0का0 तड़ागताल अल्मोड़ा औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
आदेश सं०/सेवाये 3क(2)/अराज०/ 502 /2025-26 दिनांक/3 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (गथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	मानसी भट्ट	श्री जीवन चन्द्र भट्ट	ग्राम व पो०-मिंगराड़ चम्पावत	ई०डब्ल्यू०एस०/05539/02.04.24/पाटी चम्पावत	11.01.2000	चम्पावत	बी०एस०सी०/ब०एड०	46.00	रा०इ०क० पनियॉ, चम्पावत औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवागै 3क(2)/खराज0/ 503 / 2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (गणसंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्रावधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	पान देव सुयाल	श्री हीराबल्लभ सुयाल	हैडाखान खनसू जिला-नैनीताल	ई0डब्ल्यू0एस0/230 18/28.07.23/खनसू	12.07.1991	नैनीताल	बी0एस0सी0/बी0एड0	45.75	रा0इ0का0 चौड़ास्थल बागेश्वर औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवाये 3क(2)/अराज०/ 504 /2025 26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (गवर्नांसोधि) उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिचीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	पूरन राम	श्री दीवान राम	ग्राम-काण्डागूँठ, पो०-दौलीगाड़ तहसील-भनोली जिला-अल्मोड़ा	अनु० जाति/12175/14, 08.20/भनोली	15.06.1991	अल्मोड़ा	बी०एस०सी०/बी०एड०	44.25	रा०इ०का० रातिरकेटी, बागेश्वर दुर्गम

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
आदेश सं०/सेवाएँ 3क(2)/अराज०/ 505 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (गथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी मर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	मनीषा	श्री त्रिलोक राम	शांतिकुंज रोड-2, पीरुमदारा रामनगर, नैनीताल	अनु० जाति/05980/05.08.19/भिकियासैण	10.10.1999	अल्मोड़ा	एम०एस०सी० वनस्पति वि०/बी०एड०	44.25	रा०इ०का० खरखीना अल्मोड़ा औपबन्धिक


(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
आदेश सं0/सेवागें 3क(2)/अराज0/ 506 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (मथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	रवि कुमार	श्री ओम प्रकाश	ग्राम-पनौरा, पो0-कपकोट जिला-बागेश्वर	अनु0 जाति/00313/22. 07.13/कपकोट	05.07.1996	बागेश्वर	बी0एस0सी0/ब 10एड0	43.75	रा0इ0का0 डोर पिथौरागढ़ औपबन्धिक


(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सोचार्थे 3क(2)/अराज0/ 507

/ 2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0स0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600), नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	शिवानी टम्टा	श्री गोकुलानन्द टम्टा	ग्राम-उदरखानी पो0-कठपुड़ियाधीना, जिला-बागेश्वर	अनु0 जाति/00013/12.01.15/काफलीगैर	13.12.1998	बागेश्वर	बी0एस0सी0/बी0एड0	44.25	रा0उ0मा0वि0 बेडमझोड़ा कपकोट बागेश्वर औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवाये 3क(2)/अराज0/ 508 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	अनिल विनय प्रसाद	श्री ललित प्रसाद	ग्राम-धनखलगाँव, पो0-छानागोलू बगवालीपोखर जिला-अल्मोड़ा	अनु0 जाति/74622/12.04.23/द्वाराहाट	10.07.1999	अल्मोड़ा	बी0एस0सी0/ब10एड0	43.25	रा0इ0का0 पैयापौड़ी पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 509

/2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथारसंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	चौदनी टम्टा	श्री केशव देव टम्टा	ग्राम-सैनी, पो0-गराली, तहसील-बंगापानी जिला-पिथौरागढ़	अनु0 जाति/ 144/21.06.16/ बंगापानी	03.12.1996	पिथौरागढ़	एम0एस0सी0 वनस्पति वि0/ बी0एड0	42.75	रा0उ0मा0वि0 रिणबिछुल पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराज०/ 5/0

/2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्रावधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में राखिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी मर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	सुनील कुमार	श्री महेन्द्र राम	ग्राम-तिमली, पो०-खटलगाँव, स्याल्वे जिला-अल्मोड़ा	अनु० जाति/627/18.08.2007/भिकियासैण	12.05.1994	अल्मोड़ा	बी०एस०सी०/ब००एड०	42.50	रा०इ०का० सैणरौथी, पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)

मण्डलीय अपर निदेशक

(माध्यमिक शिक्षा)

कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवायें 3क(2)/अराज०/ 511 /2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेबल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	राकेश लाल	श्री सुरेश लाल	ग्राम-सिरसा, पो०-सुयालबाड़ी जिला-नैनीताल	अनु० जाति/02328/07.09.17/कोश्याकुटौली	12.06.1994	नैनीताल	बी०एस०सी०/बी०एड०	42.50	रा०इ०का० लुमती पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं0/सेवायें 3क(2)/अराज0/ 5/2 /2025-26 दिनांक/3 अक्टूबर, 2025

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में निहित प्राविधानों तहत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ0अ0से0च0आ0/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस0एस0/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि0या0सं0-358/2025, रि0या0सं0-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	रजनी	श्री शेर राम	वार्ड नं0 08, निकट नयारा पैट्रौल पम्प, खटीमा उधमसिंहनगर	अनु0 जाति/05732/29.02.16/खटीमा	07.02.1991	उधमसिंह नगर	बी0एस0सी0/ब10एड0	42.25	रा0इ0का0 दूनाकोट पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

कार्यालय :: मण्डलीय अपर निदेशक, (मा०शि०) कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

आदेश सं०/सेवाये 3क(2)/अराज०/ 5/3

/2025-26 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025

विज्ञापित/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (संशोधित), उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2024 में विहित प्राविधानों तथा उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून के विज्ञापन संख्या-58/उ०अ०से०च०आ०/2024 दिनांक 14 मार्च, 2024 के क्रम में संचित उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक-328, 330, 333 एवं 334 दिनांक 10-02-2025 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एल०टी०-स्नातक वेतनक्रम (पुराना 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) नया वेतन मैट्रिक्स-44900-142400, लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-10 में अंकित विद्यालय में औपबन्धिक नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी, जो किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी की जा रही है। भविष्य में कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। यह नियुक्ति आदेश सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या-162 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 के क्रम में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक-8400-403 दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-232/एस०एस०/2025 नवीन सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं समान अन्य रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2025 एवं मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-549/2025, रि०या०सं०-358/2025, रि०या०सं०-692/2025 के अधीन रहेगा।

60 प्रतिशत सीधी भर्ती - विषय-विज्ञान-(सामान्य शाखा)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	श्रेणी/ उपश्रेणी	जन्मतिथि	गृह जनपद	उच्चतम शैक्षिक योग्यता	प्राप्तांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	अजली राणा	श्री बन्धु सिंह	ग्राम-सैजना पतपुरा, पो०-भूरा किशनी, खटीमा उधमसिंहनगर	अनु० जनजाति/48151/25.03.23/खटीमा	05.09.1996	उधमसिंह नगर	बी०एस०सी०/ब००एड०	39.50	रा०उ०मा०वि० आमथल पिथौरागढ़ औपबन्धिक

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
क्रमशः पृष्ठ 02.....

5450-60

सं०/सेवाएं-3क(2)/अराज०/

तिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- सचिव उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा नियम आयोग देहरादून।
- 5- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
- 6- सम्बन्धित चरित्र कमेटी/अधिकारी।
- 7- सम्बन्धित वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा कुमाऊँ मण्डल।
- 8- चरित्र पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनापद।
- 9- सम्बन्धित संस्थापक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे नीचे दिये गये निर्देशों के क्रम में नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें—
- (क) अभ्यर्थी की शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता एवं अन्य अर्हता से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की मूली-मौति जांच कर ली जाय। किंचित भी सन्देह होने की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
- (ख) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता तथा अन्य अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से करा लिया जाय। किसी भी अभिलेख में भिन्नता होने पर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।
- (ग) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख फर्जी/असत्य पाया जाता है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाय। इस हेतु अभ्यर्थी मा० न्यायालय में कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत नहीं करेगा।
- (घ) अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता की जांच उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2014(यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली-2019 में निहित प्राविधानों के अनुसार पद से सम्बन्धित संगत विषय (सं०अ०एल०टी०-विज्ञान) हेतु निम्नानुसार कर ली जाय—
- (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि।
- (2) किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बी०एड० की उपाधि।

अथवा

- (1) एन०सी०ई०आर०टी० के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स (B.Sc.Ed) (एक) रसायन विज्ञान (दो) जन्तु विज्ञान एवं (तीन) वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो।
- (2) जाति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल/स्थायी निवास के जनपद के सक्षम अधिकारी द्वारा (महिला अभ्यर्थी होने की दशा में जन्म के आधार पर) प्रदत्त हो एवं निर्धारित प्रारूप में निर्गत किया गया हो।
- (3) अभ्यर्थी की आयु 01-07-2024 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार आयु में छूट देय होगी।
- (4) निश्चिन्ता की स्थिति में निश्चिन्ता (विकलांग) प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, विज्ञापन की अन्तिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षण/सत्यापन करने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की सूचना निम्नलिखित प्रारूप में लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरकर्त्री के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

प्रमाण पत्र

मैं.....पद.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त समस्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित कर ली है एवं समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं तथा समस्त दस्तावेजों को मूल से मिलाकर सत्यापित कर लिया है। तदुपरान्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी श्री/श्रीमती/कु०.....पद.....विषय.....को दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा लिया है।

ह०-संस्थाध्यक्ष.....
पूरा नाम.....
पद एवं सील.....

- 10- सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा संस्थाप्रधान के समुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पास्तपोर्ट साइज की प्रमाणित नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जहां शिक्षा प्राप्त की हो, एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण पत्र, संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा पत्र 1-कि मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। 2-प्रशिक्षण योग्यता एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त है, प्रस्तुत करेंगे अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा चारित्रिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। (पंजीकृत)
- 11- कार्यालय आदेश पंजीक।

अनुबन्ध पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....सहायक अध्यापक.....विद्यालय.....एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करूंगा/करूंगी एवं सगे सम्बन्धियों द्वारा अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करूंगा/करूंगी।
प्रतिहरताक्षरित.....
संस्थाध्यक्ष.....
हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
विद्यालय.....